झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
एफ0 ए0 संख्या–108 / 2006

(लैंड रेफरेंस वाद संख्या–523 / 1992 में अवर न्यायाधीश द्वितीय, हजारीबाग के द्वारा दिनांक 23.03. 2006 के पारित निर्णय और दिनांक 24.04.2006 के पंचाट के विरूद्ध)

बेस्ट बोकारो कोलियरी, टिस्को, अब, टाटा स्टील लिमिटेड, एट एंड पी0ओ0–घाटोटांड़, पी0एस0–मांडू, जिला–हजारीबाग।

.... अपीलार्थी / विपक्षी पार्टी

बनाम्

1. अनु राम मांझी
2. बेनी राम मांझी
3. अरबिंद मांझी
4. तालो मांझी
5. बुधन मांझी
6. राम लाल मांझी

सभी स्व0 बाबू लाल मांझी के पुत्र हैं, गाँव बंजी, पी0ओ0 और पी0एस0–मांडू, जिला–हजारीबाग के निवासी हैं।

उत्तरदातागण / आवेदकगण / प्रथम पक्ष

7. झारखंड राज्य द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग

प्रतिवादी / विरोधी पक्ष

अपीलार्थी के लिए :– श्री प्रत्यूष कुमार, अधिवक्ता।
उत्तरदाताओं के लिए :–श्री नन्हु राम, अधिवक्ता।

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः– 1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टियों को सुना।

2. यह अपील लैंड रेफरेंस वाद संख्या–523 / 1992, जो कि एल0ए0 वाद संख्या–51 वर्ष 1980–81 / 19 वर्ष 1988–89 से उद्भूत है, में दिनांक 23.03.2006 को अवर न्यायाधीश द्वितीय, हजारीबाग द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत पारित निर्णय एवं पंचाट के खिलाफ दाखिल की गई है, जो दिनांक 23.03.2006 के एकल आदेश एवं पंचाट के द्वारा अन्य लैंड रेफरेंस मामलों के साथ निपटाया गया था।

3. यह अपीलकर्त्ता के साथ–साथ सभी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा संयुक्त रूप से निवेदन किया गया है कि अन्य भूमि अधिग्रहण मामलों में जो कि एक ही निर्णय से उद्भूत है, इन अपीलों एफ0ए0 सं0–104 / 2006 तथा एफ0ए0 सं0–113 / 2006 में समझौता के परिणामस्वरूप उसी निर्णय द्वारा निष्पादन कर दिया गया है, और उन अपीलों में, दावेदारों और उत्तरदाताओं के बीच

इस आशय का समझौता हुआ है कि वे स्वेच्छा से, बिना शर्त और असमान रूप से पंचाट की तिथि से निष्पादन करने वाले अदालत में उस राशि को अपीलकर्त्ता द्वारा जमा करने की तारीख 10.07.2012 तक अर्जित ब्याज की राशि का 40% छोड़ देने के लिए सहमति व्यक्त की है। अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संयुक्त रूप से यह निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को, न्यायालय के आदेशों के अनुसार, कार्यपालन कराने वाले न्यायालय (एक्सिक्यूटिंग कोर्ट) में अपीलार्थी द्वारा जमा की गई सूद सहित रकम जो कि अधिनिर्णित किया गया है, को मुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। पुनः अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संयुक्त रूप से निवेदन किया गया कि उन मामलों में तथा इस वाद में दाखिल समझौता याचिका में भी, मूलधन जमा की तिथि यानि, 10.07.2012 से पंचाट की तिथि तक कुल प्रोद्भूत ब्याज का 60% भुगतान दावेदारों–उत्तरदाताओं को करने के लिए स्वेच्छा से सहमत हो गया है तथा दावेदारों–उत्तरदाताओं ने रजामंदी से, स्वेच्छा से, बिना शर्त के तथा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की है और इस प्रकार छूट दी है और विद्वान निष्पादन न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णित राशि पर दिनांक 10.07.2012 के बाद किसी भी तरह के ब्याज का किसी भी तरह का दावा नहीं करेगा और दावेदार–उत्तरदाताओं ने परिनिर्धारण राशि से पूरी तरह से संतुष्ट होने की पुष्टि करते हैं और अपीलकर्त्ता के विरूद्ध अधिनिर्णित राशि पर किसी भी तरह का पुनः दावा, मांग तथा/या शिकायत नहीं करेंगे और अपीलकर्त्ता उपरोक्त 60% ब्याज, रजामंदी से तथा स्वेच्छा से उक्त अपील में न्यायालय के इस आदेश के एक माह के अन्दर, जमा करने पर सहमति व्यक्त किये हैं। पुनः संयुक्त रूप से, अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अगर पंचाट को पूर्वोक्ति सीमा तक संशोधित कर दिया जाये, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

4. आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान अवर न्यायाधीश-II, हजारीबाग, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद इस मामले में, तोषण (सोलेशियम), ब्याज तथा अन्य लाभों सहित, जैसा कि पूर्व में प्रदान किया गया है, के अतिरिक्त अधिग्रहित भूमि 1500/– रूपये प्रति डिसमिल का सपाट दर (फ्लैट रेट) पर मुआवजा, जो 1,50,000/– रूपये प्रति एकड़ के समतुल्य है, निर्धारित किया है। मुआवजे की राशि पर पहुँचने में विद्वान विचारण न्यायालय ने एल0 आर0 वाद सं0–600 से 617/1991 में पारित दिनांक 17.11.1992 के निर्णय पर भरोसा किया है क्योंकि उन मामलों में शामिल भूमि समान एवं समरूप क्षमता की थी, जैसा कि इस वाद में दाखिल भूमि की है तथा उक्त निर्णय में, 1,50,000/– रूपये प्रति एकड़ की मुआवजा अधिनिर्णित की गयी है तथा उक्त निर्णय के खिलाफ दायर प्रथम अपील इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है। हालांकि अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इस अपील में कई बिन्दू उठाए गए हैं लेकिन अपीलकर्त्ता और उत्तरदाताओं के मध्य हुए समझौते के मद्देनजर, अपीलकर्त्ता उक्त आधारों

को प्रचालित नहीं करता है और अपना दलील मुआवजा राशि के ब्याज घटक को, पंचाट तिथि से उक्त राशि के जमा करने की तिथि यानि 10.07.2012 तक, सिर्फ 40% कम करने हेतु निर्णय एवं पंचाट को संशोधित करने तक सीमित करते हैं तथा न्यायालय द्वारा 10.07.2012 से उक्त रकम के निर्मुक्त होने की तिथि तक मूलधन पर अर्जित ब्याज का भी।

5. इस अपील के प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री नन्हु राम निवेदन करते हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि आक्षेपित निर्णय और पंचाट में अपीलार्थी द्वारा पंचाट की तिथि से 10वीं जुलाई, 2012 तक देय ब्याज को 40% घटाकर संशोधन कर दिया जाये।

6. वाद के तथ्यों तथा न्यायालय में प्रस्तुत दलीलों तथा मामले की चिरकाल लंबित होना तथा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थियों द्वारा समझौता याचिका दाखिल किये जाना पर विचार करते हुए, निर्णय एवं पंचाट में प्रत्यर्थियों को अपीलकर्त्ता द्वारा देय ब्याज, पंचाट की तिथि से दिनांक 10.07.2012 को उक्त राशि के जमा करने की तिथि तक 40% घटाते हुए संशोधन करना उचित होगा और प्रत्यर्थियों को दिनांक 10.07.2012 से उक्त राशि के वास्तविक निर्मुक्ति की तिथि तक मूलधन पर किसी भी तरह के ब्याज से भी वंचित किया जाता है। लैंड रेफरेंस वाद सं0–523/1992 में दिनांक 23.03.2006 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम में पारित निर्णय एवं पंचाट को निम्नलिखित प्रकार संशोधित किया जाता हैः–

(i) कि, मुआवजे की दर 1,50,000/– रूपये प्रति एकड़ की सपाट दर (फ्लैट रेट) होगी।

(ii) प्रत्यर्थीगण को पंचाट की तिथि से उक्त राशि की जमा करने की तिथि दिनांक 10.07.2012 तक उनके क्रमशः मूलधन पर प्रोद्भूत ब्याज के 60% का हकदार होंगे। प्रत्यर्थीगण, अपीलकर्त्ता द्वारा जमा राशि पर दिनांक 10.07.2012 से उक्त राशि के वास्तविक निर्मुक्ति की तिथि तक किसी भी प्रकार के ब्याज का हकदार नहीं होगा।

(iii) अपीलकर्त्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की तारीख से एक महीने के भीतर प्रत्येक प्रत्यर्थी का, पंचाट की तिथि से 10.07.2012 तक, उनके क्रमशः मूलधन राशि पर उक्त ब्याज राशि का 60% जमा करें।

7. इस अपील को पूर्वोक्ति संशोधन के साथ निष्पादित किया जाता है।

8. रजिस्ट्री को, तद्नुसार, पंचाट तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

9. इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन (आई0ए0), यदि कोई इस मामले में लंबित है, तद्नुसार निष्पादित किया जाता है।

10. निचले न्यायालय के अभिलेख इस निर्णय की एक प्रति के साथ निचली अदालत में तुरंत वापस भेजे जाएं।

ह0

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया0)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक–24 जून, 2020
स्मिता/ए0एफ0आर0